संख्या-247/2017/2340/22-2-2016-17(182)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजयकरन सिंह पुत्र स्व० विश्वनाथ सिंह निवासी-जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-दे0या0 बैठक-28-10-2016 दिनांक 02-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजयकरन सिंह पुत्र स्व० विश्वनाथ सिंह, निवासी-पचकौरी, थाना- पैलानी व जनपद-बांदा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 15.04.1981 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी व करौली से 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-170/1988 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 404, 380, 307/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा दिनांक 28-11-1997 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध दायर अपील में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.1998 द्वारा बन्दी की मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2004 द्वारा अपील को खारिज करते हुए मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.05.2016 तक 19 वर्ष 06 माह 15 दिन की अपरिहार एवं 25 वर्ष 00 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 75 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा जमीन की रंजिश को लेकर दिनांक 15.04.1981 को 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी व करौली से 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मा० उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं०-49885/2016 सदाशिव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी विजयकरन सिंह(बन्दी संख्या-1720/08) पुत्र स्व० विश्वनाथ सिंह निवासी-जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-247/2017/2340/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।